निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 14/2017
दायरा दिनांकः—10.05.2017
निर्णय दिनांकः— 25-3-25

उनवान

1. लोडिया उर्फ लोड् आत्मज गोरिया उर्फ गोपीलाल जाति सहरिया निवासी बल्हारपुर तहसील छबडा

बनाम

1. बिशना आत्मज कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा जिला बारां
2. बिरधा आत्मज कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा
3. केदार आत्मज कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा जिला बारां

3/1 कलाबाई बेवा केदार

3/2. ओम पुत्र केदार

3/3. बबलू पुत्र केदार

3/4. रामकन्या पुत्री केदार

3/5. सीमा पुत्री केदर जातियान सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा

4. बजरंगा आत्मज कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा
5. गंगा पुत्री कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा जिला बारां
6. जमना पुत्री कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा
7. बद्री पुत्री कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा जिला बारां
8. नट्टी पुत्री कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा जिला बारां
9. अमरलाल पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
10. रामचरण पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
11. जमनालाल पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा जिला
12. चन्द्रमोहन पुत्र नाथूलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
13. निर्मला पुत्री नाथूलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
14. पुष्पाबाई पुत्री नाथूलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
15. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,183, आर.टी. एक्ट
एवं धरा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांकः– 25.3.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हरिओम गावल – वादी
2. श्री अखिलेश शर्मा – प्रतिवादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,183 आर.टी. एक्ट एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि जमाबन्दी संम्वत 2060 के अनुसार ग्राम शेखापुर तहसील छबडा में भूमि खसरा न० 501 ही 10 बीघा 18 विस्वा, खण्न० 502 रकया 23.05 बीघा कुल दो किता रकवा 34.03 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज राजस्व अभिलेख है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2062–2065 के अनुसार ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा के खाता संख्या 90 की भूमि खण्नं० 5 रकवा 5.16 बीघा, खनं० 69 रकबा 09 बिस्वा, ख0नं0 74 रकवा 01.10 बींचा, ख०नं० 82 रकवा 18.19 बींधा, ख0नं0 265 रकवा 3.10 बीघा एवं ख०नं० 308 रकवा 1.10 बीघा कुल किता 6 रकया 31.14 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी गण के खातेदारी में दर्ज राजस्व अभिलेख है। इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 ग्राम गूगौर तहसील छबडा के खाता संख्या 150 की भूमि ख०नं० 6 रकवा 09 बीघा खातेदार भूरा आ० मंगल्या जाति सहरिया निवासी बल्हारपुर के खातेदारी में दर्ज राजस्व अभिलेख है। मुताबिक जमाबन्दी प्रभूलाल की वारिस एक मात्र पुत्री बन्नीबाई थी जिसका स्वर्गवास होने से उस का नाम खाते से खारिज किया जा चुका है अब मात्र कजोड, हीरा के वारिसान व वादी लोडिया 1/3, 1/3 हिस्से के कानूनी रूप से अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी गोरिया उर्फ गोपीलाल के वारिसान है भूरा के कोई वारिसान मौजूद नहीं हैं। खाता संख्या 155 ग्राम शेखापुर की भूमि ख0नं0 501,502 में वादी एवं प्रतिवादी गण को भूरा का वारिसान दर्ज कर रखा है जो मुताविक सजरा दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा ग्राम गूगौर की भूमि खाता संख्या 150 के ख०नं० 6 रकवा 9 बीघा में मूरा पुत्र मंगल्या के स्थान पर मुताबिक सजरा कायम मुकामान रेकार्ड पर दर्ज किया जाना शेष है।

वादी रेल्वे में गैंगमेन के पद पर कार्यरत था नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता रहा अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण से पांती मुनाफे से काश्त करवाता चला आ रहा था जो वादी का हिस्सा उनकी इच्छा अनुसार दे दिया करते थे। वादी का रिटायर्डमॅन्ट हो चुका है। वादी ने प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भूमि पर स्वयं द्वारा काश्त करने की इच्छा जाहिर की तो प्रतिवादीगण वादी से लडाई झगडा करने पर आमादा हुए और वादी के हिस्से की भूमि को वादी को संभलाने से साफ मना कर दिया वादी के पास अब रोजगार का कोई साधन नहीं हैं मात्र कृषि भूमि ही रोजगार का साधन है। प्रतिवादी गण को उनके कृत्यु से रोक पाना वादी के लिए संभव नहीं हैं इसलिए वादी ने यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया है ताकि वादी अपना हिस्सा वैधानिक रूप से अलग करा ले और बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा प्राप्त करले। इसी अनुसार नक्शा ट्रेस से भी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी गण को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे। प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि में बराबर का हिस्सा है वादी गूगैर के माल की भूमि में मुताबिक सजरा अपना नाम दर्ज राजस्व अभिलेख कराने का अधिकारी है। वाद का वाद करण दिनांक 9.04. 2006 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी गण ने वादी के हिस्से की भूमि वादी को देने से साफ इन्कार कर दिया। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी गण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.06.2014 से अप्रसन्न होकर माननीय न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय में दिनांक 05.10. 2016 को पक्षकारान मे से कुछ पक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश। चूंकि समस्त पक्षकारान उप. नहीं थे इसलिए राजीनामा तस्दीक नहीं किया जा सका दिनांक 26.10.2016 को पक्षकारान के अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है कुछ पक्षकारान बीमार है इस कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये है। राजीनामा तस्दीक करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे। इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पक्षकारान के द्वारा जो राजीनामा पेश किया है उसको पक्षकरान की उपस्थिति एवं उनकी तस्दीक उपरान्त विधिक रूप से तस्दीकर कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे।

वादी का वाद पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादींगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादीगण ने कथन किया कि मंगला के दो पुत्र गोरिया व भूरा पैदा हुये। गोरिया के कजोड, हीरा, प्रभू और लोडिया चार पुत्र पैदा हुये। भूरा के कोई औलाद नही थी इसलिये उसने जातिय रिति रिवाज के अनुसार कजोड को 85 वर्ष पूर्व गोद रख लिया और उसका सम्बन्ध अपने जाइन्दा पिता गोरिया से समाप्त हो गया। ओर भूरा से उत्पन्न हो गया। इसलिये कजोड भूरा की संतान है ना कि गोरिया की। मंगला के खाते मे कोई कृषि आराजीयात नहीं थी ओर न उपरोक्त कृषि आराजीयात गोरिया के खाते मे थी। विवादित समस्त कृषि आराजीयात भूरा के खाते एवं कब्जे की थी। भूरा के मरने के उपरांत कृषि आराजीयात कजोड तथा कजोड के मरने के बाद उसके पुत्र व पुत्रियों के नाम दर्ज होना चाहिये थी। किन्तु रेवेन्यू कर्मचारियों व अधिकारियों व सेटलमेंट की गलती से वादी एवं प्रतिवादीगण 9 लगायत 15 के पिता हीरा के खाते मे आ गई किन्तु यह मात्र कागज तक ही सीमित रही है। कब्जा बदस्तुर प्रतिवादी नं. 1 ता 8 का बदस्तूर आज दिन तक निरन्तर है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 9 ता 15 का कोई हक व अधिकार उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर नहीं है। प्रतिवादी गण 1 लगायत 8 काउन्टर क्लेम के माध्यम से खाते मे दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। वादी लोडिया, प्रभूलाल, हीरालाल सभी पुत्र गोरिया उर्फ गोरीलाल ने प्रतिवादी गण 1 लगायत 8 के पिता कजोड के विरूद्ध वाद माननीय न्यायालय में क्रमशः केस नं. 165, 166, 167/75 अन्तर्गत धारा 53, 89, 91 पेश किया था जो दिनांक 12.07.78 को खारिज कर दिये गये अब पुनः इन्ही कृषि आराजीयात के बारे मे कजोड के वारिसान के विरूद्ध उन्ही

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्यक्तियों व उन्ही आधारों पर दावा पेश किया गया है। जो धारा 11 सीपीसी के तहत निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी नं. 1 ता 8 को यह अधिकार है कि जमाबंदी में लोडिया वादी एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 9 लगायत 15 का नाम दर्ज जमाबंदी ग्राम बल्हारपुर संवत 2062 –2065 दर्ज है। इसी तरह ग्राम शेखापुर की जमाबंदी संवत 2060–2063 मे दर्ज है। जिसमे भी हीरा, लोडिया व प्रभू का नाम दर्ज जमाबंदी है। नाम हटवा कर दूरस्त करवाने के अधिकारी है तथा ग्राम गुगोर की जमाबंदी जिसमे भूरा पुत्र मंगला का नाम दर्ज जमाबंदी है अब भूरा के फौत होने की गरज से प्रतिवादी नं. 1 ता 8 इंतकाल खुलवाकर खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी का यह वाद मिथ्या कथन व आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। वादी स्वच्छ हाथों से नही आया है। इसलिये भी यह दावा निरस्त होने योग्य है। वादी का वाद अंदरमियाद नही है ओर ना ही वादी प्रतिवादीगण 9 ता 15 की भूमियात पर कब्जा है सन 1978 में उनका वाद निरस्त होने के बाद उसकी कोई अपील नहीं की गई है। इसलिये अदालत द्वारा दिनांक 17.07.78 को जारी की गई डिक्री अंतिम है। अतः जवाब दावा एवं काउन्टर कलेम पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मया हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी गण का काउन्टर कलेम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायत की गयी :–

तनकी नम्बर 1 – आया कि ग्राम शेखापुर, अल्हारपुर, गूगैर में वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की भूमि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित है का वादी एवं प्रतिवादी गण के खातेदारी में मुताबिक सजरा मद नं0 2 के अनुसार दर्ज कर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर बटवारा करा कर पैमाईश अनुसार भूमि सम्मलाई जावे।

–वादी

तनकी नम्बर 2 – आया कि वादी अपने हिस्से की भूमि 1/3 पर प्रतिवादीगण को जर्य स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

–वादी

तनकी नम्बर 3 – आया कि भूरा का कजोड दत्तक पुत्र है जिसे 85 वर्ष पूर्व गोद रख लिया था इसी आधार पर खातेदारी दर्ज की जावे।

–प्रतिवादी

तनकी नम्बर 4 – आया कि प्रस्तुत वाद पत्र धारा 11 सी.पी.सी. से निरस्त किये जाने योग्य है।

–प्रतिवादी

तनकी नम्बर 5– अनुतोष

तनकी नम्बर 6– आया कि वाद पत्र की मद नं० 1(ए). 1 (बी) व 1 (सी) में वर्णित कृषि आराजीजात भूरा के खाते एवं कब्जे काश्त की थी तथा बतोर उसके वारिसान प्रतिवादी 1 ता 8 वर्तमान तक काबिज है तथा काउन्टर क्लेम के माध्यम से खाते में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दुरूस्ती के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी नं० 9 ता 15 का कोई अधिकार नहीं है।

– प्रतिवादी न0 1 ता 8

वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर तहसील छबड़ा सम्वत 2060–63 खाता संख्या 155, नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत 2062–65 खाता संख्या 90, नकल जमाबन्दी ग्राम गूगौर संम्वत 2059–2062 खाता संख्या 150, पंचनामा ग्राम वासियान पेश किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत 2013–16. नकल खातीनी बन्दोवस्त ग्राम शेखापुर संवत 2012–31, नकल रजिस्टर खतौनी सम्वत 2010, नकल रजिस्टर खतौनी सम्वत 2000 साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 लोडिया उर्फ लोड्डू, पी. डब्ल्यू 2 केदार, पी. डब्ल्यू 3 छीतरलाल, के बयान कराये गये। प्रतिवादी गण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल वाद पत्र उनवान हीरालाल बनाम कजोड, नकल जबाव दावा, नकल आदेश दिनांक 12.07.78, नकल वाद पत्र मि०नं० 166/75 हीरालाल बनाम कजेड, नकल जबाव दावा, नकल आदेश दिनांक 12.7.78. नकल वाद पत्र मि०नं० 167/75 उनवान हीरालाल बनाम कजोड, नकल जबाव दावा, नकल आदेश दिनांक 12.07.78. रसीदे प्रर्दश डी. 10 से प्रर्दश डी 67 तक पेश की गई। साक्ष्य खादी में डी. डब्ल्यू 1 बिरधीलाल, डी. डब्ल्यू 2 लटूरलाल, के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि ग्राम शेखापुर तहसील छबडा में भूमि खसरा न० 501 की 10 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 502 रकवा 23.05 बीघा कुल दो किता रकवा 34.03 बीघा, ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा के खाता संख्या 90 की भूमि ख०नं० 5 रकवा 5.16 बीघा, खनं0 69 रकवा 09 बिस्वा, ख0नं0 74 रकवा 01.10 बीघा, ख०नं० 82 रकवा 18.19 बीघा, ख0नं0 265 रकवा 3.10 बीघा एवं ख०नं० 308 रकवा 1.10 बीघा कुल किता 6 रकवा 31.14 बीघा, वादी एवं प्रतिवादी गण के खातेदारी में दर्ज है। ग्राम गूगौर तहसील छबडा के खाता संख्या 150 की भूमि ख०नं० 6 रकवा 09 बीघा खातेदार भूरा आ० मंगल्या जाति सहरिया निवासी बल्हारपुर के खातेदारी में दर्ज है। प्रभूलाल की वारिस एक मात्र पुत्री बन्नीबाई थी जिसका स्वर्गवास होने से उस का नाम खाते से खारिज किया जा चुका है अब मात्र कजोड, हीरा के वारिसान व वादी लोडिया 1/3, 1/3 हिस्से के कानूनी रूप से अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी गोरिया उर्फ गोपीलाल के वारिसान है मूहा के कोई वारिसान मौजूद नहीं हैं। ग्राम शेखापुर की भूमि खण्नं० 501,502 में वादी एवं प्रतिवादी गण को भूरा का वारिसान दर्ज कर रखा है। वादी रेल्वे में गैंगमेन के पद पर कार्यरत था नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता रहा अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण से पांती मुनाफे से काश्त करवाता चला आ रहा था जो वादी का हिस्सा उनकी इच्छा अनुसार दे दिया करते थे। वादी का रिटायर्डमेंन्ट हो चुका है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर स्वयं काश्त करना चाहते है। तो प्रतिवादीगण वादी से लडाई झगडा करने पर आमादा हुए और वादी के हिस्से की भूमि को वादी को संभलाने से साफ मना कर दिया। वादी गूगौर के माल की भूमि में मुताबिक सजरा अपना नाम दर्ज राजस्व अभिलेख कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। वादीगण के वाद का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी नम्बर 1 – इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। मुताबिक नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर तहसील छबडा के खाता संख्या 155 में लोडू पुत्र भूरा, हीरा पुत्र भूरा हि० 1/2. बिशना, बिरधा केदार बजरंगा पुत्र कजोड़, भँवरी, गंगा, जमना बद्री, नटट्टी पुत्र कजोड़ हि० 1/4 बन्नी बाई पुत्री प्रभु हि01/4 जाति सहरिया साकिन बल्हारपुर दर्ज है। जमाबंदी के कॉलम नम्बर 11 से 17 में मृतक हीरा के स्थान पर अमरलाल रामचरण पुत्र व पुष्पाबाई शान्तिबाई पुत्रियों एवं मॅवरीबाई बैवा हीरा हि० 5/24, जमनालाल, चन्द्रमोहन पुत्र एवं निर्मला पुत्री नाथूलाल हि० 1/24 खाते दर्ज है। बन्नींबाई का नाम खाते से खारिज किया गया है। नकल जमाबंदी ग्राम बल्हारपुर के खाता संख्या 90 सम्वत् 2062–65 के अनुसार बिशनलाल बिरधीलाल केदार बजरंगलाल पुत्र कजोड़ भँवरी गंगा जमना बद्री नट्टी पुत्रियों कजोड़ हिं० 1/2 लोडिया पुत्र गोरिया हि०1/4 अमरलाल, रामचरण पुत्र हीरा पुष्पाबाई गोपीबाई पुत्रियों हीरा भँवरीबाई बेवा हीरा हि० 5/24 जमनालाल बालिग, चन्द्रमोहन ना०बा० पुत्र नाथूलाल, निर्मला ना०बा० पुत्री नाथूलाल हि 1/24 कोम सहरिया दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम गुगौर खाता संख्या 150 सम्वत् 2059–62 के अनुसार भूरा पुत्र मंगला जाति सहरिया साकिन बल्हारपुर दर्ज होना पाया जाता है। वादी ने अपनी साक्ष्य पी. डब्ल्यू 1 लोडिया उर्फ लोडू के बयान में कहा है कि मंगला के दो पुत्र गोरिया व भूरा थे भूरा के कोई औलाद नहीं थी. गोरिया के कजोड, हीरा, प्रभू, लोडिया थे। कजोड, हीरा, प्रभू, का स्वर्गवास होना बताया है हीस के वारिसान वादी नहीं है जमीन शामलाती की थी लगान एक ही व्यक्ति देता था तथा रसीद भी एक के पास थी लगान एक व्यक्ति कजोड ही जमा कराता था। इस लिए उसके नाम ही रसीद काटी जाती थी। भूरा के कोई सन्तान नहीं थी में रेलवे में नौकरी करता था। बयान पी. डब्ल्यू 2 केदार ने अपनी जिरह में बताया कि भूरा के कोई सन्तान नहीं थी। मूरा ने कजोड को गोद लिया हो तो मुझे पता नहीं है। पी. डब्ल्यू 3 छीतर ने अपनी जिरह में कहा है कि मुझे पता नहीं के भूरा ने कजोड को गोद लिया है या नहीं मुझे जमीन के वारे में पता है जो लगभग 34 बीघा है। डी. डब्ल्यू 1 बिरधीलाल ने बताया कि जमाबन्दी में हीरा, लोड़, पुत्र भूरा लिखा गया है जो गलत है इनके पिता का नाम गोपीलाल उर्फ गोरया है। यह वात गलत है कि विवादित आराजी भूरा ने मोल लेकर बनाई हो। यह वात सही है कि लोडिया वादी रेलवे में नौकरी करता था जिन्हे रिटायरमेन्ट हुए 5–6 साल हो गये है। रिटायरमेंट होने के वाद लोडिया ने दावा किया है। भूरा के मेरा पिता गोद गया था इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया क्योंकि लिखा पढी नहीं हुई थी। इससे यह साबित होता है कि भूरा के कजोड गोद जाने का दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित नहीं होता कि कजोड भूरा के गोद गया था। इसलिए वादी 1/3 का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तनकी नम्बर 2 – इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। तनकी नं० 1 बादी के पक्ष में निर्णित की गई है। वादी अपने हिस्से की भूमि ग्राम बल्हारपुर व गूमौर पर 1/3 हिस्से एवं ग्राम शेखापुर की भूमि में हिस्सा 1/3 पर खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा बटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जा रहा है लकिने बटवारा कौन--कौनसे खसरों का किया जाना है, यह स्पष्ट वर्णित नहीं है अतः बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 – इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी गण को था। प्रतिवादी गण ने इस तनकी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं केया जिससे यह साबित होता है कि कजोड दत्तक पुत्र भूरा अथवा मुतबन्ना भूरा दर्ज हो और ना ही कोई गोद नामा पेश किया है और ना ही गोद नामें बावत कोई साक्ष्य पेश की। मात्र लगान की रसीद पेश की है। हिन्दू उताराधिकार अधिनियम के अनुसार मंगला के दो पुत्र गोरिया व भूरा थे। गोरिया के चार पुत्र तथा भूरा के कोई औलद नहीं थी। ऐसी स्थिति में भूरा कि भूमि उसके भाई गोरिया के पुत्रों को बराबर बराबर जायेगी। रिकार्ड में पिता का नाम भूरा दर्ज है इससे नहीं माना जा सकता कि इसको भूरा ने गोद रखा है। जब तक भूरा के गोद जाने का रिकार्ड व साक्ष्य पेश नहीं किया जाता तब तक यह साबित नहीं होता कि कजोड भूरा के गोद गया था। चारों पुत्रों के पिता का नाम गोरिया की जगह भूरा दर्ज कर दिया गया है इसलिए कजोड को गोद पुत्र नहीं माना जा सकता। अतः यह तनकी प्रतिवादी गण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 – इस तनकी को साबित करने का मार प्रतिवादी गण को था। प्रतिवादी गण ने इसके समर्थन में पूर्व में चले दावों की नकले पेश की है। दावों पर अन्तिम रूप से अथवा गुणावगुण मेरिट पर कोई निर्णय पारित किया गया या नही इससे साक्ष्य पेश नही किए अतः पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी गण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5 – इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी गण 1 ता 8 को था। प्रतिवादी कम 1 ता 8 ने काउन्टर क्लेम भूरा का दत्तक पुत्र कजोड है के आधार पर भूमि अपने खाते दर्ज कराने का पेश किया हैंदत्तक पुत्र के समर्थन में तनकी नं० 3 में निस्तारण किया जा चुका हैं। इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी कम 1 ता 8 ने कोई दस्तावेज, रीति रिवाज, गोद नामा, आदि पेश नहीं किया हैं डी. डब्ल्यू 1 बिरधीलाल जो कजोड का पुत्र है के बयानों की जिरह में स्पष्ट कहा है कि यह वात सही है कि सारी जमीन की देख रेख मेरे पिता जी करते थे। सारी जमीन का लगान जमा होता था उसको मेरे पिता जी जमा कराते थे। भूरा के मेरा पिता कजोड गोद गया था इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया क्योंकि लिखा पढी नहीं हुई थी। इससे यह साबित होता है कि भूरा के कजोड गोद जाने का साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह साबित नहीं होता कि कजोड भूरा के गोद गया था। अतः यह तनकी प्रतिवादी गण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपरोक्त तनकीयात के विवेचनानुसार वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष निम्नानुसार निर्णित किया जाता है–

- माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में स्वयं प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण राजीनामा तस्दीक किया जाना संभव नहीं है। माननीय न्यायालय मे जो राजीनामा प्रस्तुत किया वहां पर भी सभी पक्षकार उपस्थित नहीं हुए तथा यहां भी प्रतिवादी व उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं होने कारण राजीनाम तस्दीक किया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा विवादित आराजी मे हिस्सा 1/3 की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जो वादी को दिया जाना उचित है।
- वादी द्वारा बटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जा गया है लेकिन बटवारा कौन–कौनसे खसरों का किया जाना है, यह स्पष्ट वर्णन नहीं है। इसलिये इस वाद के माध्यम से बंटवारा का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है एवं बिना बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी दिया जाना संभव नहीं है।

अतः वादी का वाद स्वीकार एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी गण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबडा के खाता संख्या 155 में दर्ज ख0नं0 501 रकवा 10.18 बीघा, खसरा नम्बर 502 रकबा 23.05 बीघा से पिता का नाम भूरा के स्थान पर गोरिया उर्फ गोपीलाल दर्ज करने एवं ग्राम गूगोर के खाता संख्या 150 के ख०नं० 6 रकवा 9 बीघा में वादी को 1/3 हिस्से एवं ग्राम बल्हारपुर के खाता संख्या 90 के कुल खनं० 6 किता रकवा 31.14 बीघा, ग्राम शेखापुर के खाता संख्या 155 व ग्राम गूगैर के खाता संख्या 150 की भूमि में वादी को हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 14/2017	धारा 53,88,188,183 आरटी एक्ट एवं 136 एलआरएक्ट	निर्णय दिनांक:– 25.3.25
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री राकेश सोनी वादी		अभिभाषक प्रतिवादी:–

वाद शीर्षक

उनवान

1. लोडिया उर्फ लोड् आत्मज गोरिया उर्फ गोपीलाल जाति सहरिया निवासी बल्हारपुर तहसील छबडा

बनाम

1. बिशना आत्मज कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा
2. बिरधा आत्मज कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा
3. केदार आत्मज कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा

3/1 कलाबाई बेवा केदार
3/2. ओम पुत्र केदार
3/3. बबलू पुत्र केदार
3/4. रामकन्या पुत्री केदार
3/5. सीमा पुत्री केदर जातियान सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा

4. बजरंगा आत्मज कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा
5. गंगा पुत्री कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा जिला बारां
6. जमना पुत्री कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा
7. बद्री पुत्री कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा जिला बारां
8. नट्टी पुत्री कजोड जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा जिला बारां
9. अमरलाल पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
10. रामचरण पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
11. जमनालाल पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा जिला
12. चन्द्रमोहन पुत्र नाथूलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
13. निर्मला पुत्री नाथूलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
14. पुष्पाबाई पुत्री नाथूलाल जाति सहरिया निवासी ग्राम बल्हारपुर तह० छबडा
15. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी गण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबडा के खाता संख्या 155 में दर्ज ख0नं0 501 रकवा 10.18 बीघा, खसरा नम्बर 502 रकबा 23.05 बीघा से पिता का नाम भूरा के स्थान पर गोरिया उर्फ गोपीलाल दर्ज करने एवं ग्राम गूगोर के खाता संख्या 150 के ख०नं० 6 रकवा 9 बीघा में वादी को 1/3 हिस्से एवं ग्राम बल्हारपुर के खाता संख्या 90 के कुल खनं० 6 किता रकवा 31.14 बीघा, ग्राम शेखापुर के खाता संख्या 155 व ग्राम गूगैर के खाता संख्या 150 की भूमि में वादी को हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.3.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां
छबडा (बारां)

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वादपत्र/लिखित कथन		
2	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीसकमिश्नर		
8	अन्य / क्षतिपूर्ति		